आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
11.06.2024	**वाद संख्या–06 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती निशा घोष के प्रतिनिधि के तौर पर श्री डब्लू घोष, ग्राम–जनार्दनपुर, पंचायत–बागडेहरी, प्रखण्ड–कुण्डहित, जिला–जामताड़ा दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा आयोग कार्यालय में उपस्थित। शिकायतकर्ता ने आयोग को दूरभाष के माध्यम से यह बताया कि उनके पास जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा के प्रतिनिधि के तौर पर एक कर्मी आई थी, जिन्होंने 2000 / – रू0 लेकर वाद वापस लेने का आग्रह किया। शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि श्री डब्लू घोष को आयोग ने कहा है कि आपने मौखिक तौर पर जो जानकारी आयोग को दी है, उस आशय की जानकारी लिखित तौर पर आयोग को भेजें, तत्पश्चात् आयोग यथोचित कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि इस वाद में दिनांक–29.04.2024 को आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख किया था कि आयोग को यह लगता है कि शिकायतकर्ता के अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि यदि अगली सुनवाई तक शिकायतकर्ता को उनके बकाया क्षतिपूर्ति की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई तो आयोग निदेशक, समाज कल्याण निदेशक के विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–20 (2) के तहत् वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ करने को विवश होगा। आयोग के अभिलेख में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक–1022 दिनांक–08.06.2024 के माध्यम से सहायक निदेशक, समाज कल्याण, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रेषित पत्र की एक प्रति उपलब्ध है, जिसमें जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा सहायक निदेशक से यह आग्रह किया गया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत देय राशि का भुगतान शिकायतकर्ता को यथाशीघ्र कर दिया जाए। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के उपरोक्त प्रतिवेदन के बावजूद शिकायतकर्ता को भुगतान न होना और आयोग के पिछले निर्देश के बावजूद निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय का कोई प्रतिवेदन आयोग के अभिलेख में उपलब्ध न होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि निदेशालय मातृ वंदना योजना के तहत् लाभुकों के अधिकार के प्रति न तो गंभीर है और न ही सक्रिय है। ऐसे में न्याय के हित में आयोग निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची को अंतिम अवसर देते हुए निर्देश दे रहा है कि वे शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि के साथ उन्हें देय राशि का भुगतान पत्र मिलने के 07 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करें। साथ ही लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से यह बताएँ कि आयोग के पिछले कई आदेशों का अनुपालन नहीं करने और शिकायतकर्ता को ससमय योजना का लाभ उपलब्ध नहीं कराने के कारण उनके विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–20 (2) के तहत् वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए ? E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx178	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अनुक्ति

निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची का प्रतिवेदन यदि नहीं आया या संतोषजनक नहीं रहा, तो आयोग उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–27.06.2024 को निर्धारित की जाती है। अगली सुनवाई में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा को उपस्थिति से छूट दी जाती है।

आदेश की प्रति निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय एवं सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ भेजें तथा एक प्रति शिकायतकर्ता को भी भेजें। दिनांक–27.06.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।